कोटा संभाग के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का हो विकास : संभागीय आयुक्त

■ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए खुलेंगे नए मार्ग

कोटा, (निसं)। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि कोटा संभाग पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध है। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। चम्बल नदी के साथ मुकुंदरा अभयारण्य यहां की खूबसूरती को काफी बढ़ाते है। उन्होंने जिले में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने और यहां के पर्यटन स्थलों को देश-विदेश में मार्केटिंग करने के निर्देश दिए। अग्रवाल बुधवार को सीएडी सभागार में आयोजित संभागीय पर्यटन विकास समिति की बैठक में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विकसित करने के संबंध में चर्चा कर रहे थे। बैठक में कोटा जिले में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चम्बल सफारी के लिए नावों की संख्या बढ़ाने और सफारी को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करने पर चर्चा हुई। संभागीय आयुक्त ने चम्बल सफारी के लिए चम्बल गार्डन के पीछे बनी जेट्टी के पास वेटिंग एरिया बनाकर सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए ताकि पर्यटकों को परेशानी नहीं हो। उन्होंने जवाहर सागर डैम तक सफारी की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। साथ ही, प्रमुख पर्यटन स्थलों की मार्केटिंग करने की आवश्यकता जताई। गरड़िया महादेव क्षेत्र में जाने वाले पर्यटकों के लिए बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गरड़िया महादेव के एंट्री पॉइंट के रिनोवेशन एवं वहां आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रस्ताव तैयार करवाए जाएंगे।

बैठक में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए नए मार्ग खोलने पर चर्चा हुई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बफर जोन में अभी पांच रूट ओपन हैं। कोर एरिया में तीन रूट और स्वीकृत हो गए हैं। इससे वहां सफारी के लिए मार्ग बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में वर्तमान में एक सफारी गाड़ी चल रही है। चार और सफारी गाड़ियां रजिस्टर होने के बाद इनकी संख्या पांच हो जाएगी। सुविधाएं बढ़ने से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में और अधिक संख्या में पर्यटक सफारी कर पाएंगे। सीसीएफ वाईल्ड लाईफ कोटा एसआर जाट ने बताया कि बजट में चम्बल क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधाओं के विस्तार के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके संबंध में शीघ्र ही प्रस्ताव बनाकर भेजे जाएंगे ताकि कोटा संभाग में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। होटल फेडरेशन के कोटा संभाग अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने बताया कि अगस्त से शुरू होने वाला अगला पर्यटन सीजन कोटा के लिए अच्छा साबित होगा। दिसम्बर माह में आयोजित ट्रैवल मार्ट में आए टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटर्स द्वारा 100 से अधिक टूर पैकेज तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चम्बल सफारी, मुकुंदरा अभारण्य, गरड़िया महादेव, अभेड़ा महल, चम्बल रिवर फ्रंट, सेवन वंडर्स आदि पर्यटकों की पसंद बन गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अभेड़ा तालाब, उम्मेदगंज पक्षी विहार एवं कनवास वेटलैंड में बर्ड वॉचिंग बढ़ रही है और युवा इसमें काफी रूचि ले रहे हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देने में सकारात्मक कदम होगा।

संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोटा में पर्यटन को बढ़ाने के लिए इससे जुड़े सभी लोगों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए अतिथि देवो भव की भावना को अपनाना होगा। टेक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड, होटल एवं रेस्टोरेंट से जुड़े कर्मचारियों आदि को प्रशिक्षण देना होगा।

सफाई कर्मियों का प्रदर्शन

रामगंजमंडी, (निसं)। नगर पालिका रामगंजमंडी में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने जनवरी माह का वेतन अब तक नहीं मिलने पर आक्रोशित होकर बुधवार को पालिका परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जनवरी माह का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मचारियों ने बताया कि वेतन में देरी के कारण घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि दो दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो वे कार्य का बहिष्कार करेंगे।

राशन डीलर का प्राधिकृत पत्र निलम्बित

रामगंजमंडी, (निसं)। नगर पालिका क्षेत्र रामगंजमंडी के राशन डीलर के खिलाफ जांच में लापरवाही व वितरित होने वाले गेहूं का वितरण नहीं करके गबन करने के मामले में रसद विभाग प्रवर्तन अधिकारी अदिति जगरवाल ने बुधवार को पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया है। प्रवर्तन अधिकारी अदिति जगरवाल ने बताया कि एफपीएस चेतन नामा की राशन की दुकान का निरीक्षण किए जाने पर भौतिक सत्यापन में 200.76 क्विंटल गेहूं कम पाया गया।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीपक कुमार जिन्दानी पुत्र रिषभचन्द जैन की खरीदशुदा सम्पत्ति फ्लेट नं. ए-601, ओम ग्रीन मिडोज, सुभाष नगर, कोटा में स्थित है। दीपक कुमार जिन्दानी के द्वारा एचडीएफसी लि. से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेजात एचडीएफसी बैंक लि. में रहन कर रखे है। दीपक कुमार जिन्दानी का दिनांक 10.01.2026 को देहान्त हो चुका है। दीपक कुमार जिन्दानी की पत्नी श्रीमती अभिलाषा जिन्दानी के द्वारा यह जाहिर किया है कि उनके अतिरिक्त स्व. दीपक कुमार जिन्दानी के पुत्र चिराग जिन्दानी व पुत्री भव्या जिन्दानी ही विधिक वारिसान हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान नहीं है। उक्त सम्पत्ति के पेटे लिए हुए ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी बैंक लि. को की जा चुकी है, स्व. दीपक कुमार जिन्दानी की पत्नी अभिलाषा जिन्दानी उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहती है। यदि इस सम्बन्ध में किसी भी दीगर व्यक्ति/संस्था/कम्पनी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो मय दस्तावेज सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता या एचडीएफसी बैंक लि. शाखा विज्ञान नगर, कोटा के समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करे। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई भी आपत्ति मान्य एवं प्रभावी नहीं होगी।

संदीप जैन
एडवोकेट 9829180432

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपरा/श.स.स.शि.-2025/2025-26/718 **आपत्ति सूचना** दिनांक-19.2.2026

सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि शहरी सेवा शिविर-2025 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार सैन पिता श्री जगन्नाथ द्वारा अपने हक अधिकार प्राप्त उपविभाजित भूखण्ड संख्या 158ए, नया बाजार आवासीय योजना क्षेत्र, सेन्ट्रल पार्क के पास, रावतभाटा का धारा 69ए के तहत पट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत बाद निर्णय अनुमोदित ले-आउट प्लान नं. 03 के भवन क्रमांक 522 का आवेदक के नाम पट्टा विलेख क्रमांक LD/RWTB/2025-26/296278/33 दिनांक 20.11.2025 से क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का जारी किया गया। जिसके पंजीयन से पूर्व ही आवेदक की मृत्यु दिनांक 19.12.2025 को हो जाने के कारण आवेदक के वैध वारिसान / उत्तराधिकारी श्रीमती मंजू सैन पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार सैन के द्वारा अन्य वारिसान श्री हेमन्त कुमार व जितेन्द्र कुमार सैन पुत्रान स्व. श्री अशोक कुमार सैन के अपंजीकृत नोट्रेरी प्रमाणित हकत्याग पत्र के साथ उक्त पट्टा विलेख को अपने नाम हस्तान्तरित कराकर नवीन पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त आवेदित प्रकरण में किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई आपत्ति अथवा उजरदारी हो तो वह अपनी आपत्ति व उजरदारी इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर लिखित में मय साक्ष्य दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा बाद मियाद कोई आपत्ति व उजरदारी मान्य नहीं होगी।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा, राजस्थान

क्रमांक-ननिकोटा/उपा.रा./2026/188-89 दिनांक- 24.02.26

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री कमल कुमार हिस्सारिया पुत्र स्व. शिव कुमार हिस्सारिया, निवासी ए-49, आरकेपुरम, कोटा नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार "HOTEL MADHUSHREE" ऑक्सीजन सीटी पार्क के पास मेन रोड, झालावाड रोड, कोटा में होटल संचालन करने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक ''ए'' के प्रथम तल के कमरा नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

उपायुक्त राजस्व नगर निगम, कोटा

कार्यालय नगर परिषद बारां

क्रमांक : नपबा/तामीर शाखा/2026/11841 दिनांक : 25.02.2026

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति स्वतंत्र सैनी पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश सैनी निवासी बारां का आवेदन नाम हस्तान्तरण चाहने वास्ते प्राप्त हुआ है। जिसमें पट्टा विलेख दिनांक 22.09.1977 भूखण्ड संख्या निल माप 1665 वर्गफीट का श्रीमति सुशीला देवी पत्नी श्री मांगीलाल के नाम जारी किया। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.03.1996 से उक्त माप में से 900 वर्गफीट श्रीमति सुनिता अग्रवाल पत्नी श्री विरेन्द्र को बेचान कर दिया। जिसमें कार्यालय नगर परिषद बारां द्वारा कमांक नपबा/तामीर शाखा/2025/8431 दिनांक 15.12.2025 से भूखण्ड माप 900 वर्गफीट का उपविभाजन प्रमाण पत्र श्रीमति सुनिता अग्रवाल पत्नी श्री विरेन्द्र के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात श्रीमति सुनिता अग्रवाल पत्नी श्री विरेन्द्र द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.01.2026 से उक्त भूखण्ड माप 900 वर्गफीट को श्रीमति स्वतंत्र सैनी पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश सैनी को बेचान कर दिया। आवेदिका ने इसी आधार पर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण अपने नाम चाहता है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में अन्य किसी को आपत्ति हो तो अन्तर 7 दिवस में आपत्ति मय दस्तावेजो के साथ कार्यालय हजा में प्रस्तुत करे। बाद अवधि गुजर जाने पश्चात आपत्ति मान्य नही होगी।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3307 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-20.02.26

आवास संख्या 1-घ-34 दादाबाडी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री पदमचंद पाटनी पुत्र श्री प्रेमराज पाटनी को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री पदमचंद पाटनी पुत्र श्री प्रेमराज पाटनी के नाम दिनांक 17.01.1978 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री पदमचंद पाटनी पुत्र श्री प्रेमराज पाटनी की मृत्यु दिनांक 04.01.2023 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी पाटनी की मृत्यु दिनांक 29.04.2021 हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती रितु जैन पत्नी श्री तरूण कुमार जैन द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्सों का त्याग जरिये रिलीज डीड आलेखित कर दिनांक 18.06.2024 को श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार जैन के पक्ष में किया गया। श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार जैन का नाम उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दिनांक 01.10.2024 को दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय-पत्र आलेखित कर दिनांक 30.01.2026 को श्री विवेक चौधरी पुत्र श्री सुरेश चन्द्र चौधरी एवं श्रीमती नीतू जैन पत्नी श्री विवेक चौधरी को संयुक्त रूप से किया गया। श्री विवेक चौधरी पुत्र श्री सुरेश चन्द्र चौधरी एवं श्रीमती नीतू जैन पत्नी श्री विवेक चौधरी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-घ-34 दादाबाडी, कोटा को विक्रय-पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख मे संयुक्त रूप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री विवेक चौधरी पुत्र श्री सुरेश चन्द्र चौधरी एवं श्रीमती नीतू जैन पत्नी श्री विवेक चौधरी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर संयुक्त रूप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दियस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री विवेक चौधरी पुत्र श्री सुरेश चन्द्र चौधरी एवं श्रीमती नीतू जैन पत्नी श्री विवेक चौधरी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्री विवेक चौधरी पुत्र श्री सुरेश चन्द्र चौधरी एवं श्रीमती नीतू जैन पत्नी श्री विवेक चौधरी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/2152 **विज्ञप्ति** दिनांक : 25.2.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामपुरा योजना ''आर.के. नगर'' खसरा नं. 598 में स्थित भूखण्ड संख्या 132 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्रीमती रुकसाना पत्नि श्री मोहम्मद साबिर निवासी-मकान नं. 1325, धोबी मोहल्ला, खानपुर, झालावाड़ राजस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 3432 दिनांक 27.12.2004 को श्री अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल गनी निवासी 132, आर.के. नगर, कोटा राज. के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जर्ये अपंजीकृत मुख्तार आम श्री साबिर पुत्र श्री मोहम्मद ईश्हाक द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2009 से श्रीमती रुकसाना पत्नि श्री मोहम्मद साबिर को कर दिया गया हैं।

अतः श्रीमती रूकसाना पत्नि श्री मोहम्मद साबिर के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/810 दिनांक : 10.2.26

नाम हस्तांतरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-320-A आर.के.पुरम योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 1438 दिनांक 13.10.2000 द्वारा श्री तिलकराज पुत्र श्री प्यारेलाल को आंवटित किया गया था। श्री तिलकराज के द्वारा श्रीमती आशा जैन पत्नि श्री अमित जैन को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया। मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2025 को श्रीमती रंजीता जैन पत्नि श्री लोकेश जैन को कर दिया गया। क्रेता श्रीमती रंजीता जैन पत्नि श्री लोकेश जैन अपने नाम उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त आवास/भूखण्ड संख्या 320-A आर.के.पुरम् योजना का नाम हस्तातरण श्रीमती रंजीता जैन पत्नि श्री लोकेश जैन के नाम कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 1663 **नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक : 25.2.2026

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा की मोहन लाल सुखाडिया आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास/दुकान संख्या ई-217 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. प्राधिकरण के क्रमांक 481 दिनांक 14.09.2011 को श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री शिवलाल शर्मा को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास/दुकान का जर्ये रजिस्ट्रर्ड मुख्तारआम श्री महेश कुमार मेघानी पुत्र श्री कन्हैयालाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2025 को श्री त्रिलोक कुमार सेन पुत्र श्री शम्भु लाल को कर दिया गया है क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास/दुकान का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास/दुकान संख्या ई-217 योजना मोहन लाल सुखाडिया आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री त्रिलोक कुमार सेन पुत्र श्री शम्भु लाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

फागोत्सव की धूम

कोटा, (निसं)। जवाहरलाल नेहरू टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, लखावा, कोटा में बुधवार को सहायक आचार्य संगीता कुमारी एवं डॉ.रंजीता सिंह के निर्देशन में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रो.सुषमा सिंह एवं स्टॉफ द्वारा ठाकुरश्यामजी की आरती करके किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद् संजय चतुर्वेदी, डॉ.महावीर राठौर द्वारा होली खेले रघुवीरा, बरसाने की छोरी राधा गोरी–गोरी इत्यादि भजनों के साथ प्रशिक्षणार्थियों फूलों की होली खेलते हुए, धूम मचाई। इसी क्रम में बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों एवं शिक्षकगण ने मीठे रस से भरोरी राधा रानी, राधिका गोरी से, श्याम चूड़ी बेचने आया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होलिया में उड़े रे गुलाल, रंग बरसे, मधुर भजनों व नृत्य कर फागोत्सव का आनंद लिया।

'ऑर्थोडॉन्टिक चिकित्सा जगत में ऐतिहासिक उपलब्धि'

■ बिना सर्जरी के मोबियस सिंड्रोम का सफल उपचार, दुनिया का पहला ऐसा मामला

कोटा, (निसं)। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सफलता हासिल करते हुए डॉ.अभिषेक क्षेत्रपाल ने मोबियस सिंड्रोम से पीड़ित एक मरीज का केवल ऑर्थोडॉन्टिक उपचार के जरिए सफल इलाज किया है। यह दुनिया का ऐसा पहला मामला है जहाँ बिना किसी सर्जरी के मरीज में लिप कॉम्पिटेंस (होंठों को सहजता से बंद करने की क्षमता) विकसित की गई है। डॉ अभिषेक क्षेत्रपाल ने बताया कि मोबियस सिंड्रोम एक अत्यंत दुर्लभ जन्मजात तंत्रिका संबंधी विकार है जो मुख्य रूप से चेहरे के भावों और आंखों की गति को नियंत्रित करने वाली नसों को प्रभावित करता है। इस स्थिति में मरीज के चेहरे की मांसपेशियां लकवाग्रस्त रहती हैं जिससे वे न तो मुस्कुरा पाते हैं और न ही अपने होंठ पूरी तरह बंद कर पाते हैं। अब तक इस समस्या के समाधान के लिए बहु-विषयक इलाज जिसमें प्लास्टिक सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोडॉन्टिस्ट, दंत चिकित्सक आदि की टीम शामिल होती है और कई जटिल ऑपरेशनों की ही एकमात्र विकल्प माना जाता था। उन्होंने बताया कि आमतौर पर ऐसे मामलों में कई चरणों वाली सर्जरी की आवश्यकता होती है लेकिन इस केस में विशेषज्ञ ऑर्थोडॉन्टिक तकनीकों का उपयोग कर सफलता प्राप्त की गई। इसमें मरीज अब अपने होठों को पूरी तरह बंद करने में सक्षम है जो न केवल चेहरे की सुंदरता बल्कि बोलने और खाने-पीने की कार्यक्षमता के लिए भी अनिवार्य है। डॉ अभिषेक क्षेत्रपाल ने बताया कि वैज्ञानिक साहित्य और रिपोर्टों के अनुसार, केवल दांतों और जबड़ों के उपचार के माध्यम से इस स्तर का सुधार पहले कभी दर्ज नहीं किया गया है। यह केस रिपोर्ट इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्थोडॉन्टिक्स एंड डेंटोफेशियल रिसर्च में प्रकाशित हुई है।

बाल विवाह की रोकथाम के लिये शिविर आयोजित

■ बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया

कोटा, (निसं)। बाल विवाह की रोकथाम तथा जन सहभागिता योजनाओं से जुड़ाव को लेकर लाडपुरा तहसील रंगपुर ग्राम पंचायत में सृष्टि सेवा समिति द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया। जिला समन्वयक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में पंचायत स्तर पर लोगों ने शिविर में भागीदारी ली तथा बाल विवाह पर जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विद्यालय के बच्चों ने भी बाल विवाह की रोकथाम पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया तथा वक्ताओं द्वारा दी गई जानकारी को समझा। इस दौरान सृष्टि सेवा समिति के सलाहकार यज्ञदत्त हाड़ा ने प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। पूर्व वार्ड पार्षद व समाजसेवी युधिष्ठिर ने बाल विवाह की रोकथाम को लेकर कविता प्रस्तुत की और बच्चों को तथा उपस्थित आमजन को बाल विवाह के प्रति जागरूक किया। बाल अधिकारिता विभाग के आउटेज कर्मी संजय मेहरा व चाईल्ड हेल्पलाईन के कॉ–ऑर्डिनेटर नरेश मीणा ने बच्चों को चाईल्डलाईन के बारे में विस्तार से बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता नरेंद्र डाबी ने बच्चों को बाल विवाह की रोकथाम हेतु किया प्रयास किया जा सकते हैं इस बारे में बताया।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मिर्जा अनवर बैग पुत्र मिर्जा जब्बार बैग उम्र 53 वर्ष निवासी 135, आदित्य आवास बजरंग नगर कोटा का है, जिसका मकान 25x55 वर्गफुट, दो मंजिला आदित्य आवास में है जिसमें परिवार सहित निवास कर रहा है। मेरे पक्षकार ने दोनों पुत्रों मिर्जा राशिद बैग उम्र 30 वर्ष, मिर्जा शाकिर बैग उम्र 33 वर्ष की शादियां कर दी, स्वयं का आर. सी.सी. का ठेकेदारी का काम सिखाया, आर.सी.सी. का समस्त सामान देकर दोनों पुत्रों को काम धन्धा के लिये प्रोत्साहित किया लेकिन दोनों पुत्र मेरे पक्षकार व उसकी पत्नी से लड़ाई-झगड़ा करते है, कोई काम काज नहीं करते है जिसका भी काम ठेके पर लेते है उनका काम पूरा करके नहीं देते है, दोनों के क्रूरतापूर्ण, आचरण, नकारापन के कारण मेरा पक्षकार उनके उक्त कृत्य से काफी आहत है, मेरा पक्षकार अपने दोनों पुत्र मिर्जा राशिद बैग, मिर्जा शाकिर बैग को अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से आज दिनांक 25.02.2026 को बेदखल करता है आज के बाद से दोनों पुत्रों से मेरे पक्षकार का किसी भी प्रकार का संबंध रिश्ता नाता नहीं रहा है। कोई भी व्यक्ति उक्त दोनों पुत्रों से किसी भी प्रकार का सौदा रूपयो, पैसो का लेन देन आदि नहीं करे, यदि कोई व्यक्ति दोनों पुत्रों से लेने देन करते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी होगी।

कोटा दिनांक-25.2.26

भवदीय
असगर अंसारी, एडवोकेट

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नितेश धाकड़ पत्नी श्री रेखराज धाकड़, निवासी ग्राम याकुबपुरा, तह. नगरफोर्ट, जिला टोंक (राज.) हाल मुकाम मकान नं. 230, सुभाष नगर द्वितीय, कोटा द्वारा प्लॉट न. 167, सुभाष नगर योजना, कोटा (राज.) को खरीदने बाबत् करार श्रीमती सुधेश कुमारी निझावन पत्नी श्री जगदीश चन्द्र निझवानी, निवासी मकान नं. 1-पी-14, तलवण्डी, कोटा (राज.) से किया हुआ है। श्रीमती सुधेश कुमारी निझावन द्वारा उक्त प्लॉट को श्री नवीन कुमार निझावन जरिये मुख्तार आम श्री रवि प्रकाश गुप्ता से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2006 क्रय किया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 27.06.2006 को हो रहा है। उक्त प्लॉट से संबंधित असल आवंटन पत्र दिनांक 18.04.1991, जो कि नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा श्री रवि प्रकाश गुप्ता के पक्ष में जारी किया गया था, असल उपलब्ध नहीं है एवं गुम होना बताया गया है, जिसकी संबंधित थाने में इन्फोर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अगर किसी व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्था को उपरोक्त वर्णित असल आवंटन पत्र के संदर्भ में किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस की अवधि में मुझे अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत कर दें, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

दिनांक :25.02.2026

राजेन्द्र मंगल एडवोकेट
मकान नंबर 322 महावीर नगर द्वितीय
कोटा राज.
मो. 94148-02953

विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

छबड़ा(निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां के निर्देशानुसार चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अविनाश चौधरी के निर्देशन में पंचायत समिति के सभागार में किया गया। उक्त शिविर का उद्देश्य उपखंड संबंधित विभागों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का वंचितों को लाभ पहुंचाना है। उक्त शिविर में राजेंद्र प्रसाद मीणा अबीडीओ, अब्दुल हसीब आलम अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, महेश भूटानी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जगदीश प्रसाद नागर एसीबीआ एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। उक्त शिविर में पेंशन, पालनहार, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सा विभाग की योजना, शिक्षा विभाग की योजना, समाज कल्याण विभाग की योजना, पशुपालन विभाग आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई एवं मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया गया।

विद्युत आपूर्ति चार घण्टे बन्द रहेगी

रामगंजमंडी (निसं)। क्षेत्र में 220 केवी जीएसएस मोडक पर 33 केवी मेन बस पर कार्य करने हेतु 26 फरवरी गुरुवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शट डाउन रहेगा। राजेश कुमार अरोड़ा अधिशाषी अभियंता 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन, प्रसारण निगम मोडक ने बताया कि 220 केवी जीएसएस मोडक से जुड़े समस्त 33केवी फीडर रामगंजमंडी, चेचट, असकली, मदनपुरा व रीको गुन्दी की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

सीएम की 'पाती' से जुड़ा राजस्थान, एक क्लिक पर मिली योजनाओं की जानकारी

कोटा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के नाम विशेष रूप से लिखी गई पाती के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की पहल की है। जिले में इस पाती का वितरण शुरू हो गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के नाम मुख्यमंत्री की पाती का वितरण किया जा रहा है, वहीं जिला रोजगार अधिकारी के माध्यम से युवाओं को पाती सौंपी जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों तक किसान पाती पहुंचा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य अलग-अलग वर्गों को उनकी जरूरत से जुड़ी योजनाओं की सटीक और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित इस पाती में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हेल्पलाइन, पीएम कुसुम योजना का आधिकारिक पोर्टल, राज किसान साथी, राज सहकार पोर्टल, राज किसान गिरदावरी ऐप, अटल जल योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित अहम जानकारियां शामिल की गई हैं।

एनटीपीसी अंता का नि:शुल्क नेत्र शिविर संपन्न

एनटीपीसी अन्ता में नि:शुल्क नेत्र शिविर संपन्न हुआ।

■ कार्यक्रम एनटीपीसी अंता के परियोजना प्रमुख अनिल बवेजा की उपस्थिति में आयोजित हुआ

अंता, (निसं)। नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत एनटीपीसी अंता चिकित्सालय द्वारा प्रेरणा महिला मंडल एवं विशाल आई हॉस्पिटल, कोटा के सहयोग से आयोजित नि:शुल्क नेत्र शिविर एवं चश्मा वितरण समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम एनटीपीसी अंता के परियोजना प्रमुख अनिल बवेजा की उपस्थिति में आयोजित हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एनटीपीसी अपने आसपास के ग्रामीण एवं स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि दृष्टि स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता से सीधे जुड़ा हुआ है और ऐसे शिविर वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के लिए आशा की नई किरण बनते हैं।

इस शिविर के अंतर्गत विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सकों द्वारा आंखों की जांच की गई तथा कुल 194 लाभार्थियों को नि:शुल्क चश्मों का वितरण किया गया। समय पर परामर्श, समुचित जांच और आवश्यक सहायता से लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी, संतोष और नई उम्मीद साफ झलकती रही। कई लाभार्थियों ने बेहतर दृष्टि मिलने पर इसे अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बताया। इस अवसर पर ओएंडएम प्रमुख विपिन कुमार देशमुख, मानव संसाधन प्रमुख डी.एस. कुहाड़, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अम्बुज कुमार, डॉ. ऋषभ शर्मा, एनटीपीसी अंता चिकित्सालय की चिकित्सकीय टीम, विशाल आई हॉस्पिटल, कोटा से डॉ. विशाल स्नेही तथा प्रेरणा महिला मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। लाभार्थियों ने शिविर की सुव्यवस्थित व्यवस्था, चिकित्सकीय टीम की संवेदनशील सेवाओं और नि:शुल्क चश्मा वितरण की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की अपेक्षा व्यक्त की। एनटीपीसी अंता द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामुदायिक विकास से जुड़े कार्यक्रम सतत रूप से संचालित किए जा रहे हैं, ताकि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक आवश्यक सुविधाएं प्रभावी और सम्मानजनक ढंग से पहुंचाई जा सकें।

सीएमएचओ ने किया सीएचसी डाबी का औचक निरीक्षण

बूंदी(निसं)। जिले में आमजन को बेहतर एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ओ पी सामर ने सीएचसी डाबी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में संचालित विभिन्न सेवाओं, उपचार व्यवस्था, स्वच्छता प्रबंधन तथा मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का गहनता से अवलोकन किया। निरीक्षण के क्रम में सीएमएचओ ने निशुल्क दवा वितरण प्रणाली की उपलब्धता और रिकॉर्ड का परीक्षण किया। उन्होंने प्रयोगशाला में संचालित जाँच सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए मरीजों को शीघ्र पंजीयन एवं उपचार सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। डॉ सामर ने बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन प्रणाली का निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप अपशिष्ट निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लेबर रूम की तैयारियों, उपकरणों की उपलब्धता, प्रसूता देखभाल व्यवस्था तथा आपातकालीन सेवाओं की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की। वार्डों में भर्ती मरीजों की देखभाल, बेड व्यवस्था, साफ–सफाई तथा शौचालयों की स्थिति का निरीक्षण कर स्वच्छता बनाए रखने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)
राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा
Website : www.kotamc.org, Email :

क्रमांकः– ननिकोटा / रा.नीलामी / राजस्व / 2025 / 7202–203 दिनांकः– 24.02.2026

ई–ऑक्शन के माध्यम से सीएडी चौराहा से पुलिस कन्ट्रोल रूम के पास स्थित
व्यवसायिक भूखण्ड खरीदने का सुनहरा अवसर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा द्वारा रावतभाटा रोड स्थित पुलिस कन्ट्रोल रूम के पास व्यवसायिक भूखण्डों की ई–ऑक्शन के माध्यम से नीलामी आयोजित की जा रही है। ई–ऑक्शन निम्नांकित सारणी अनुसार तिथिवार किया जावेगा। (अन्तिम 5 मिनट में स्वतः बोली विस्तार नही होने की स्थिति में) समस्त जानकारी ई–नीलामी की वेबसाईट https://lsgeauction.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही सम्पादित होगी। जो एस.एस.ओ. आई.डी. (SSO ID) द्वारा देखी जा सकती है। ई–नीलामी से विक्रय किये भूखण्डों की 15 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि को सम्मलित करते हुए 03 कार्य दिवस में जमा होने व नही होने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी।

दैनिक नीलामी कार्यक्रम का विवरण

क्र. सं.	भूखण्ड सं.	कॉलोनी का नाम	क्षेत्रफल / साईज	आवासीय व्यवसायिक	निर्धारित न्यूनतम नीलामी दर प्रति वर्गफुट	धरोहर राशि	रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ दिनांक	ई ऑक्शन की तिथि एवं समय		सम्बन्धित कनि. अभियन्ता का मो. नं.
								प्रारम्भ तिथि समय	समाप्ति तिथि समय	
1	1	पुलिस कन्ट्रोल रूम के पास मुख्य मार्ग	3740 Sq. Mtr. 40242.40 Sq. Ft. मानचित्र अनुसार	व्यवसायिक (सामान्य)	12000	9658180	28.03.26 को प्रातः 10 बजे से 30.03.26 सायं 6.00 बजे तक	31.03.26 को प्रातः 10.00 बजे से	02.04.26 को प्रातः 11.00 बजे तक	श्री महेन्द्र प्रजापति, मो.नं. 93512–95632
2	2	पुलिस कन्ट्रोल रूम के पास मुख्य मार्ग	4990 Sq. Mtr. 53692.40 Sq. Ft. मानचित्र अनुसार	व्यवसायिक (सामान्य)	12000	12886180	02.04.26 को प्रातः 10 बजे से 04.04.26 सायं 6.00 बजे तक	05.04.26 को प्रातः 10.00 बजे से	07.04.26 को प्रातः 11.00 बजे तक	श्री महेन्द्र प्रजापति, मो.नं. 93512–95632

नोटः– नीलामी के संदर्भ में अन्य जानकारी / अन्य शर्ते राजीव गांधी भवन के ब्लॉक ''ए'' के प्रथम तल के कमरा नं. 238, राजस्व अनुभाग नगर निगम कोटा में सम्बन्धित लिपिक श्री फिरोज खान, मो. नं. 98297–07419 (कार्यालय समय में) से सम्पर्क किया जा सकता है।

1. नगर निगम कोटा में SSO ID के माध्यम से व्यवसायिक भूखण्डों का ई–ऑक्शन प्रारम्भ किया जा रहा है ई–ऑक्षन में भाग लेने के लिए SSO ID के माध्यम से स्वहपद करना होगा। ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन शुल्क / ईएमडी ऑनलाईन जमा करवानी होगी। नीलामी की विस्तृत शर्ते नगर निगम कोटा की वेबसाईट https://lsgeauction.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। सभी नीलामी कार्यक्रम प्रारम्भ होने का समय प्रातः 10.00 बजे एवं समाप्ति दिवस के प्रातः 11.00 बजे तक रहेगा।
2. नीलामी से पूर्व निविदादाता को अपनी प्रोफाइल बनानी होगी जिसके Approved होने के पश्चात् ही नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
3. नीलामी के संदर्भ में अन्य जानकारी / अन्य शर्ते एस.एस.ओ.आई.डी. माध्यम से वेबसाईट पर जाकर एवं राजीव गांधी भवन के ब्लॉक ''ए'' के प्रथम तल के कमरा नं. 238, राजस्व अनुभाग नगर निगम कोटा में (कार्यालय दिवस व कार्यालय समय) में सम्पर्क कर देखी जा सकती है।
4. लीज की गणना 40 फीट रोड पर भूखण्ड होने पर वर्तमान डीएलसी का 70 प्रतिशत एवं 30 फीट रोड पर भूखण्ड होने पर 60 प्रतिशत से लीज की गणना की जावेगी।
5. Nagar Nigam Kota is not responsible for any kind of network problem.
6. ई–नीलामी से विक्रय किये भूखण्डों की 15 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि को सम्मलित करते हुए 03 कार्य दिवस में जमा होने व नही होने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी।
7. भूखण्ड 99 वर्शीय लीज पद्धति के अनुसार ही नीलाम किया जावेगा।
8. एकल बोली स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नगर निगम कोटा का होगा।
9. बोलीदाताओं द्वारा प्रत्येक भूखण्ड के लिए पृथक–पृथक रजिस्ट्रशन फीस रू. 2000 / – तथा उपरोक्तानुसार धरोहर राशि (EMD) ऑनलाईन जमा करा कर ई–ऑक्शन में भाग ले सकेंगे।
10. क्रम सं. 1 से 02 तक की नीलामी 50 / – के गुणांक में बढाई जाने पर ही मान्य होगी।
11. मौके पर सम्पत्ति ''जहां है जैसी है'' के आधार पर साईज के अनुसार ही ई–नीलामी की जावेगी जो भौतिक कब्जे के समय साईज से कम या ज्यादा हो सकती है। अधिक साईज होने पर अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी तथा कम साईज होने पर राशि लौटा दी जावेगी। लीज राशि अलग से देय होगी एवं रजिस्ट्री का व्यय भूखण्डक्रेता को वहन करना होगा।
12. राज्य सरकार या नगर निगम कोटा द्वारा जो भी नियमानुसार शर्ते निर्धारित है वह मान्य होगी।
13. किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

राज.संवाद / सी / 25 / 21286 **उपायुक्त राजस्व**